

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), उत्तर प्रदेश
ऑडिट भवन, टी सी-35-V-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010

सं.प्र.म.ले.(ले.प.-II)/प्रशा./MACP/ फा.सं. -26/ खण्ड -V/ ९/

दिनांक: 21/07/2026

कार्यालय आदेश/Office Order

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा -प्रथम), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के कार्यालय आदेश संख्या प्र.म.ले.(ले.प.-I)/प्रशासन/फा.न.-284/2025-26/74 दिनांक 14.07.2026 के सन्दर्भ में इस कार्यालय में कार्यरत निम्न अधिकारियों को संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति योजना के अंतर्गत उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से वर्णित वेतन लेवल में वित्तीय उन्नयन प्रदान किया जाता है।

संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति योजना के कार्यान्वयन के फलस्वरूप यदि किसी कनिष्ठ अधिकारी का वेतन वरिष्ठ अधिकारी से अधिक हो जाता है तो इस प्रकार की विसंगति पर योजना के दिशा-निर्देश के अनुसार कोई विचार नहीं किया जायेगा। यदि किन्हीं परिस्थितियों में प्रदान किये गए वित्तीय उन्नयन में बदलाव/वापस लेने की आवश्यकता प्रतीत होती है, तब वित्तीय उन्नयन प्रदान किए जाने के फलस्वरूप अधिक भुगतान की वसूली उनके वेतन से की जाएगी।

सम्बंधित अधिकारियों द्वारा वेतन निर्धारण हेतु विकल्प इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के भीतर पी सी अनुभाग में प्रस्तुत किया जा सकता है।

In pursuance of Office Order No. प्र.म.ले. (ले.प.- I)/ प्रशासन/ फा.न.-284/2025-26/74 दिनांक 14.07.2026 issued by the Office of the Principal Accountant General (Audit-I), Uttar Pradesh, Prayagraj, the following Officers working in this office are hereby granted financial upgradation under the Modified Assured Career Progression (MACP) Scheme to the pay level indicated against their names, with effect from the dates specified against each of them.

As a consequence of the implementation of the Modified Assured Career Progression (MACP) Scheme, if the pay of any junior officer becomes higher than that of the senior officer, then such an anomaly shall not considered, in accordance with the guidelines of the Scheme.

If, under any circumstances, it is found necessary to modify or withdrawn the financial upgradation granted, any excess payment as a result of such financial upgradation shall be recovered form the salary of the concerned officers (s).

The concerned officers may submit their option for pay fixation to the PC section within one month from the date of issuance of this order.

Sl. N.	Name (Shri/Ms.)	Designation	ID/ UPLKB	Date of grant of MACP	MACP and Matrix Pay Level (MPL)
1.	Dharmendra Kumar Mishra	SAO	3231702	01.01.2026	2 nd MACP and MPL-11
2.	Dinesh Pratap Singh	SAO	3231710	01.01.2026	2 nd MACP and MPL-11

— हस्ता. —
वरिष्ठ उप महालेखाकार/ प्रशासन

सं.प्र.म.ले.(ले.प.-II)/प्रशा./MACP/ फा.सं. -26/ खण्ड -V/ 12-1141

दिनांक: 10/07/2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. सचिव, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II) उ.प्र., लखनऊ
2. समस्त समूह अधिकारी, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा -II), उ.प्र., लखनऊ

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/आई.टी. प्रकोष्ठ

सामान्य/जायरी संख्या... 60

दिनांक... 22/7/26

3. सचिव, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम) उ.प्र., प्रयागराज
4. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सामान्य प्रशासन/पी.सी./आई.टी.ए./विधिक अनुभाग/हिंदी अनुभाग/प्रतिवेदन-I, II, III/कोऑर्डिनेशन सेल/डी.ए.सी&आर.सी, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II) उ.प्र., लखनऊ
- ✓ 5. व.ले.प.अ./आई.टी.सेल, को इस आशय के साथ प्रेषित कि कार्यालय आदेश की एक प्रति Office Website पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
6. सम्बंधित अधिकारी
7. सूचना पट्ट
8. गार्ड फाइल

वारिष्ठ

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ प्रशासन